

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर अहव हुकम में
	<p>नरदीक डिवा जाकर शामिल पत्रावली डिवा, गधा, 1 शेष अगवानी सं० 4 की हुकम नलबी पुनः समान नलबाना पेश होने पर जरि (समान की जाकर पत्रावली दिनांक 15-11-2014 को पेश हो।</p>	
<p>22/01/18</p>	<p>तमीज बेशी से गिखर पत्रावली पेश कर्म नकुलाय फरिफेन /अन्य कार्यवाही सं० 12-04-18 को पेश हो।</p>	
<p>12/04/18</p>	<p>पत्रावली पेश कर्म नकुलाय फरिफेन /अन्य कार्यवाही सं० 26-04-18 को पेश हो।</p>	
<p>26/04/18</p>	<p>पत्रावली पेश कर्म नकुलाय फरिफेन /अन्य कार्यवाही सं० 13-05-18 को पेश हो।</p>	
<p>26/04/18</p>	<p>पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018-ने रखे जाने योग्य पायी जाने पर केंद्र स्थल अदालत सेवा केंद्र लोहरवाड में पेश है। 03-05-2018</p>	

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

राजस्व लोक अदालत अभियान
 न्याय आपके द्वार - 2018

नम्बर व तारीख
 अहकाम जो इस
 हुकम की तालीम
 में जारी हुए

05/18 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अखि-
 भान : न्याय आपके द्वार कार्यक्रम 2018 के
 तहत डेम्प स्थल अरु सेवा केन्द्र लोहरवाड़ा
 में पेश हुई। वहील वादीगण, वही सं० एवं
 प्रतिवादी सं० 2 उपस्थित। उपस्थित पक्षगण
 ने निवेदन दिए कि विवादित पक्षगण के
 मध्य राजीनामा हो चुका है। मुताबिक राजीनामा
 दावा डिली करमाया जावे। पक्षगण के निवेदन
 पर प्रतिवादी सं० 4 भूमिधारी तहसीलदार
 जखेल मे ठोरे आपत्ति जाहिर वही की
 पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध
 राजस्व रिकॉर्ड पेशासुदा राजीनामा का अन्वेष
 किया गया जिन्हे अन्वेषन से एवं लोक अद-
 लत की भावना से वादी का वाद स्वीकार
 किया जाने योग्य पाया जाने पर स्वीकार
 किया जाकर वही राजीनामा डिली डिली जाय
 है। आ घोषणा की जाती है कि :-

आदेश

तन ग्राम लोहरवाड़ा तहसील खखेला जिला
 सीकर (राज०) अवस्थित कृषि भूमि खण्ड
 89, 90 रकबा 1.97 हे० में से 1/6 हिस्सा की
 खातेदारी से प्रतिवादी सं० 1 का उ व 5, 6 के मूल
 पति। पितर का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हमसुक्ति
 जाकर उक्त 1/6 हिस्सा का वादी को खातेदार
 काश्तकार घोषित किया जाय है। उक्तानुसार
 राजस्व रिकॉर्ड में समल परामद हो नपुत्रुमार
 प्रकरण में पचा डिली मुक्ति हो। पत्रावली केसल
 शुमार होकर नम्बर से उभ हो तचा वाद स्वीक
 दाखिल दफ्तर हो। निर्णय मजमे आम सुनाया
 गया।

31/5/18
 Camp लोहरवाड़ा

(Handwritten signatures and stamps)
 तहसीलदार
 जखेला (सीकर)

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला, (सीकर)

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट)

लोक अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम खण्डेला

पीठासीन अधिकारी:- श्री भागीरथ शाख, RAS

① छितरमल :x: उनवान बनाम ① भगवानी पत्नी भुरली :x: .

बाबत घोषणा व इनामकार एड

समा नम्बर :- 75/2016

दिनांक :- 03-05


यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु श्री भागीरथ शाख, RAS

जिरी मिनजानिब मुददई रुबरु श्री रामापतार बिजारविपार

मिनजानिब मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

न ग्राम लोहरवाडा तहसील खण्डेला अजमेर जिले हजिरी इमि खण्डेला
89, 90 रकबा 1.97 हे० में से 1/6 हिस्सा की खातेदारी
प्रतिवादी सं० 1 गउ प 5, 6 के मूल पति पिता भुरली
न हणामन का नाम राजाव रिपोर्ट से हजिरी डिग जाइत
कत 1/6 हिस्सा की खातेदार कावतकार घोषित
जाता है। उक्तानुसार राजाव रिपोर्ट में जमल दरामव

खर्चा पक्षकारान्त अपना-अपना वहन करेंगे।
यह आज दिनांक 03.05.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी



(भागीरथ शाख)
उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला(सीकर)

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
..... रुपये पर प्लीडर की		साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	
.....		आदेशिका की तामील	
साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		कमिश्नर की फीस	
कमिश्नर की फीस			
आदेशिका की तामील			
जोड़		जोड़	

* पुत्र भूराम जाति जाट निवासी लोहरवाडा
तहसील पठेल जिला - सीकर (राज.)

- (वादी)

बनाम

- * ① कालूराम पुत्र मुरली
② मुडेश कुमार पुत्र मुरली

समान जाति जाट निवासी लोहरवाडा तहसील पठेल
जिला - सीकर (राज.)

- ③ भूमिधारी तहसीलदार पठेल
④ शिमला पुत्री मुरलीधर
⑤ निराला पुत्री मुरलीधर

जाति जाट निवासी लोहरवाडा तहसील पठेल
जिला - सीकर (राज.)

- (प्रतिवादी)


3/1/18